West Bengal Form No. 27

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr. P.C.)

4390

SILIGURI WOMEN POLICE STATION * SILIGURI POLICE COMMISSIONERATE

Dist Darjeeling P.S Siliguri Women Year 2024 FIR No 90/2024 Date 14/8/2024

BNS Sections 85/351(2) Act DP Sections 3/4

Sections (iv) Others Acts & Sections

3. (a) Occurrence of Offence Day Since after her marriage Date To

Time Period Time From Time To

(b) Information received at P.S. Date 14/8/2024 Time 19:35 hrs

(c) General Diary Reference Entry No(s) 819 Time 19:35 hrs

4. Type of Information Written Written / Oral

5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from P.S. Beat No

(b) Address Gobinda Nagar, Champasari Anchal P.s- Pradhan Nagar Dist: Darjeeling

(c) In case outside limit of this Police Station, then the

Name of the P.S. District

6. Complainant / Informant

(a) Name Puja Mahato

(b) Father's / Husband's Name Goutam Kumar Yadav

(c) Date / Year of Birth (d) Nationality Indian

(e) Passport No Date of Issue Place of Issue

(f) Occupation

(g) Address Presently residing at Vivekananda Road, W/no-7 P.s- Siliguri Dist: Darjeeling

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars

(Attach separate sheet, if necessary)

(1) Goutam Kumar Yadav (husband) (2) Gita Roy (Sister in law) (3) Sita Roy (Sister in law) (4) Rita Roy (Sister in law) all of Gobinda Nagar Champasari Anchal Ps- Pradhan Nagar Dist: Darjeeling.

8. Reasons for delay in reporting by the Complainant / Information

9. Particulars of properties stolen / involved (Attach separate sheet, if necessary)

10. Total value of properties stolen / involved

11. Inquest Report / U.D. Case No., if any

12. FIR Contents (Attach separate sheets, if required) The original written complaint which is treated as FIR is enclosed herewith

13. Action taken: Since the above report reveals commission of offence(s) as mentioned at item No. 2., registered the case and took up the investigation / directed LASI Srabonti Saha of Slg Women Ps to take up investigation / refused investigation / transferred to P.S. on point of jurisdiction. FIR read over to the Complaint/ Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the Complainant / Informant free of cost.

Noted in Original Complaint

14. Signature / Thumb impression of the Complainant / Informant

Signature of the Officer-in-charge, Police Station

Inspector-in-Charge SILIGURI WOMEN P.S. SILIGURI POLICE COMMISSIONERATE

Name: DHIMAN [illegible]

Rank: No SUB INSPECTOR OF POLICE- SLG WOMEN PS- SPC

DR..................... Sig Women P.S.

15. Date & Time of despatch to the court

Dtd

तारीख - 14/08/2024

को,
प्रभारी अधिकारी
सिलीगुड़ी महिला पुलिस स्टेशन,
सिलगुड़ी

विसय - FIR

आदरणीय महोदया,

Received on 14/8/24 at 19:35hrs vide Slg women PS GDE No - 819 dt- 14/8/24 and registered Slg women PS Case no. 90/24 dt - 14/8/24 U/s 85/351(2) BNS for seeking 3/4 DP Act and endorsed to SI Srabani Saha for its investigation
[signature] 14/8/24, Inspector In-Charge SILIGURI WOMEN P.S. SILIGURI POLICE COMMISSIONERATE

मैं पूजा, गौतम कुमार यादव की पत्नी और नथनी महतो की बेटी, जो वर्तमान में विवेकानन्द रोड, वार्ड नंबर 7, एस. एम. सी., पी.ओ और पी. एस.- सिलीगुड़ी जिला - दार्जिलिंग, पिन - 73400,4 कि 1) गौतम कुमार यादव पुत्र स्वर्गीय वासुदेव यादव, निवासी गोविंदो नगर, चंपासारि आंचल, पी. ओ. - चंपासारी, थाना - प्रधान नगर जिला - दार्जिलिंग, पिन -734003, 2) गीता रॉय पत्नी विजय रॉय, निवासी गेट बाजार रेलवे क्वार्टर, लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के पास पोस्ट ऑफिस सिलीगुड़ी टाउन, थाना - एनजेपी, जिला - जलपाईगुड़ी, पिन- 734004, 3) सीता रॉय पत्नी स्वर्गीय ललन रॉय,

Scanned with OKEN Scanner

चंपासारी आंचल के निवासी, विद्या मंदिर स्कूल के पास, पोस्ट ऑफिस चंपासारी, पोस्ट प्रधान नगर, जिला - दार्जिलिंग, पिन - 734003 और 4) रीता रॉय पत्नी ज्ञात नहीं, निवासी बहुला बाजार, चंपासारी, पोस्ट ऑफिस - चंपासारी, पी. एस. - प्रधान नगर, जिला - दार्जिलिंग, पिन - 734003, सभी स्वर्गीय वासुदेव यादव की पुत्री हैं। के खिलाफ मामला दर्ज कर रही हूं कि :

1. यह कि मेरी शादी गौतम कुमार यादव के साथ 14/07/2013 को मेरे पिता के घर पर हम दोनों के परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों की उपस्थिति में हिंदू रीति-रिवाजों, अनुष्ठानों और रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुई थी।

2) कि उक्त विवाह के बाद मेरे पति और ससुराल वाले मुझे मेरे वैवाहिक घर गोविंद नगर, चंपासारी आंचल, पी. ओ - चंपासार पी. एस प्रधान नगर, जिला - दार्जिलिंग, पिन - 734003 में ले आए।

Scanned with OKEN Scanner

3) उक्त मैं से विवाह के बाद मैंने दो बच्चों को जन्म दिया जिनका नाम अजय कुमार यादव दिनांक 06/06/2024 और सानवी यादव दिनांक 29/12/2019) को हुआ।

4) कि शादी के समय मेरे पति और ससुराल वालों की मांग के अनुसार मेरे पिता ने नकद रुपये दिये थे 50,000/- व सोने और चांदी के आभूषण, फर्नीचर, बर्तन, कपड़े आदि मेरे ससुराल वालें को दिए।

5) शादी के कुछ दिनों बाद से ही मेरे पति और मेरे ससुराल वालों ने दहेज की मांग करते हुए मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और वे हमेशा मुझ पर अपने माता-पिता से पैसे लाने के लिए दबाव डालते थे और जब मैंने इनकार कर दिया तो उनका मेरे उपर अत्याचार का स्तर धीरे-धीरे बढ़ता गया।

6) मेरा पति कभी भी मेरा और बच्चों का अच्छे से ख्याल नहीं रखता था और हमेशा अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने में व्यस्त रहता था। और वह हमेशा देर रात

Scanned with OKEN Scanner

जो नशे की हालत में घर आता था और बिना किसी बात के मेरे साथ मारपीट करता था। उसकी इच्छाशक्ति और अमानवीय व्यवहार को इस आशा के साथ सहन करती थी कि वह भविष्य में बदल जाएगा।

7) यह कि मेरी उपर्युक्त ननदें हमेशा मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काती थीं और मुझे प्रताड़ित करने में उनका साथ देती थीं।

8) दिनांक 14/05/2023 को मेरे पति एंव उक्त ननदों ने रुपये की मांग की। मुझसे 1,00,000/- रुपये मांगे और मुझे अपने माता-पिता से उक्त पैसे लाने के लिए मजबूर किया, लेकिन जब मैंने इनकार कर दिया और उनसे अनुरोध किया कि मेरे माता-पिता बहुत गरीब हैं और उनके लिए इतनी बड़ी राशि की व्यवस्था करना संभव नहीं है; तो वे सभी बहुत आक्रामक हो गए। गुस्से में आकर उन्होंने मुझ पर लात-घूंसों से शारीरिक हमला किया और मुझे मेरे ससुराल से बाहर निकाल दिया और मुझे धमकी दी कि पैसे लिए बिना वापस मत आना और मेरे दोनों बच्चों को भी उन्होंने वापस रख लिए।

) इसके बाद मैंने अपने माता-पिता के घर में शरण ली और तब से मैं वहीं रह रही हूं। और इस बीच मेरे माता-पिता ने मेरे पति को मुझे अपने वैवाहिक घर में वापस ले जाने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे पति और ससुराल वालों ने साफ इनकार कर दिया। और मेरे माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार किया और उन्होंने मुझे मेरे बच्चों से मिलने भी नहीं दिया।

10) दिनांक 12/08/2024 को अचानक मेरे पति ने मुझसे संपर्क किया और मुझे घर वापस आने के लिए कहा और मुझे आश्वासन दिया कि अब वह मेरे साथ एक खुशहाल वैवाहिक जीवन व्यतीत करेगा और मेरे माता-पिता से चर्चा के बाद और मेरे पति के आश्वासन पर मैं अपने ससुराल चली गई। बड़ी उम्मीदों और सपनों के साथ वैवाहिक घर लेकिन वहां पहुंचने के बाद मैं सदमे में थी क्योंकि मेरे पति की ये सारी बातें झूठी थीं और मेरे पति और ननदें मुझसे झगड़ने लगीं, मेरे और मेरे माता-पिता के खिलाफ अपशब्द और गंदी भाषा का इस्तेमाल करने लगे और जब मैं उनकी ऐसी हरकतों का विरोध किया तो उन सभी ने मेरे साथ

Scanned with OKEN Scanner

मारपीट की और लात-घूंसों से मारपीट की और मेरी ननदों ने मुझे फर्श पर धक्का दे दिया और मेरे पति ने मुझे जान से मारने की नियत से मेरा गला दबा दिया और मैं किसी तरह उनके कब्जे से छूटकर अपनी जान बचाने में कामयाब रही।

इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि कृपया जल्द से जल्द इस मामले की जांच करें और व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें।

धन्यवाद।

आपकी आभारी
Puja Mahato

पूजा महतो

मोबाइल - 9933976224

Scanned with OKEN Scanner